

# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिरवा, उदयपुर

धनराज

विपक्षी

दल

मा

वाड

पत्रावली संख्या

128/24

सन्


कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा  
सूचनाएं जारी की गई

7.12.25

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनु.  
प्रतिवादी ताम्रिन हेतु निपत है। वादी अधिवक्ता को  
उपस्थित होने हेतु कई अवसर दिए गए, बावजूद  
इसके कोई उपस्थित नहीं होने से न्यायालय द्वारा  
कुक-कुक कर कई आवाजें लगावाई गई, बावजूद इसके  
न्यायालय समय समाप्ति तक कोई उपस्थित नहीं हुआ  
जिससे जाहिर है कि वादी अपने वाद के प्रतिरोधी  
नहीं हैं। तथा वादी वाद चलाना नहीं चाहते हैं।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के  
तहत अदम हाजरी- अदम पैरवी में खारिज किया  
जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण  
फैसलशुमार लेकर नम्बर से कम हो।

  
(अबुल कौदर हुसैन)

IAS